न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–12, हरदोई।

परिवाद सं0–29/2017

कु0 नीलम उर्फ सीमा बनाम महेन्द्र मिश्रा

सी.एन.आर.यू.पी.एच.आर.01006498–2017

पी0 ओ 0 कोड नम्बर–यू0 पी0–6277

दिनांकः 21.12.2019

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के विन्दु पर सुना जा चुका है।

परिवादिनी कु0 नीलम उर्फ सीमा द्वारा विपक्षी महेन्द्र मिश्रा को उक्त परिवाद पर विचारणार्थ तलब किये जाने की याचना की गयी है। कथनो के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

परिवादिनी द्वारा अपने परिवादपत्र के माध्यम से कहा गया है कि दिनांक 31.12.2016 समय करीब 12–00 बजे दिन परिवादिनी की मां श्रीमती रामकिशोरी गांव के पडोस मे ही मजदूरी करने गयी थी। जहां पर वह अनिल मिश्रा के खेत में गन्ना छील रही थी। परिवादिनी को मां से कुछ जरूरी काम की वजह से खेत पर जाना पड़ा, तो वहां पर मौजूद महेन्द्र मिश्रा पुत्र रामलाल मिश्रा मामूली बात पर परिवादिनी को जाति सूचक भद्दी भद्दी गालियां देकर मारा पीटा तथा बदनियती से जमीन पर पटक दिया। जब मां बचाने आयी, तो उन्हे भी जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया और मारा पीटा। शोर शराबा सुनकर गांव के तमाम लोग मौके पर आ गये।

परिवादपत्र के समर्थन मे परिवादिनी द्वारा स्वयं का बयान धारा 200 दं0 प्र 0 सं0 एवं गवाहान रामकिशोरी तथा सूरज उर्फ सरोज को धारा 202 दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत परीक्षित कराया गया है। कथनो के समर्थन में परिवादिनी/पीडिता के हाई स्कूल परीक्षा 2016 के प्रमाणपत्र सह अंकपत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

तलबी के प्रश्न पर पत्रावली पर उपलब्ध बयान अंतर्गत धारा 200 दं0 प्र 0 सं0 व 202 दं0 प्र 0 सं0 एवं अन्य साक्ष्यों का अवलोकन एवं सम्यक परिशीलन किया।

धारा 200 दं0 प्र 0 सं0 के बयान मे परिवादिनी ने कहा है कि महेन्द्र मिश्रा 10–12 मकान छोडकर रहता है। उसके घर कभी नहीं आया। उसके बच्चो की भी शादी हो गयी है। पांच छः बीघा का खेत है। उसकी मां उसके खेत में मजदूरी करती है। मजदूरी का कोई विवाद नही है। उसकी मां ने कोई पैसा नहीं मांगा था। 10–12 साल पहले उसके पिता से महेन्द्र मिश्रा का झगडा खेत में गाय के घुसने को लेकर हुआ था। उसकी मां उसके भाई के खेत पर काम करती है। उस दिन उसकी मां और वह उसके खेत से होकर निकले तो गाली गलौज करने लगा। उसकी मां व उसे गन्ने से मारपीट की थी। उसके व उसकी मां को चोट नहीं आयी थी। इसीलिये डाक्टरी नहीं करायी। रामदेवी ने डण्डा महेन्द्र से छीना।

धारा 202 दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत साक्षी रामकिशोरी जो पीडिता/परिवादिनी की मां है, ने सशपथ कथन किया है कि घटना डेढ़ वर्ष पहले दिन के 11–12 बजे की है। वह अनिल मिश्रा के खेत मे चारा छील रही थी। घटना वाले दिन स्कूल बन्द था। उसकी लडकी खेत में थी। उसने अपने भतीजे सरोज से अपनी लडकी को खेत पर बुलवाया था। तब उसकी लडकी को लेकर उसका भतीजा खेत पर आया। महेन्द्र मिश्रा नें उसकी लडकी नीलम का बोझा गिरा दिया। महेन्द्र मिश्रा ने उसकी लडकी नीलम को मारना शुरू किया। वह पचास–साठ कदम दूर थी। वह दौडकर नीलम के

पास पहुंची तो महेन्द्र मिश्रा ने जातिसूचक गालियां देते हुये (साली चमारिन) कहा कि काट कर फेंक देगे, तेरा पता नहीं चलेगा।

धारा 202 दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत साक्षी सूरज उर्फ सरोज ने सशपथ कथन किया है कि उसने महेन्द्र मिश्रा द्वारा नीलम को मारते हुये देखा था। आगे उसने कहा है कि नीलम उसे दो तीन खेत बाद लगभग आधा किलोमीटर दूर मिली थी। उसने उससे पूंछा तो उसने बताया कि महेन्द्र मिश्रा ने उसे मारा है तथा ''चमारिन'' शब्द से सम्बोधित किया है तथा गन्दी गन्दी गालियां दी है और धमकी दी है कि देशराज तुम्हारे कुछ नहीं कर पायेगे, काट कर बहा दूंगा।

उपरोक्त बयान धारा 200 दं0 प्र 0 सं0 एवं धारा 202 दं0 प्र 0 सं0 से स्पष्ट है कि पीडिता एवं साक्षीगण रामकिशोरी तथा सूरज उर्फ सरोज द्वारा विपक्षी महेन्द्र मिश्रा द्वारा परिवादिनी एवं उसकी मां को मारने पीटने और जाति सूचक गालियां देने तथा काटकर फेंक देने की धमकी दी गयी है। परिवादिनी एवं साक्षीगण ने अपने उपरोक्त बयान में परिवादिनी पर महेन्द्र मिश्रा द्वारा लैंगिक हमला करने या लैंगिक आशय के साथ कोई ऐसा अन्य कार्य करने जिससे प्रवेशन किये बिना शारीरिक सम्पर्क अर्न्तग्रस्त हो, का कथन नहीं किया है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम की धारा आकृष्ट नहीं हो रही है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर विपक्षी महेन्द्र मिश्रा के विरूद्ध मात्र धारा 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3 (1)द, एवं 3 (1)ध, एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट का प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है। अतः न्यायालय के अभिमत मे विपक्षी महेन्द्र मिश्रा को प्रस्तुत मामले मे बतौर अभियुक्त उपरोक्त धाराओ में विचारणार्थ तलब किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

विपक्षी महेन्द्र शुक्ला को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 3 (1)द, एवं 3 (1)ध, एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के बावत बतौर अभियुक्त विचारणार्थ तलब किया जाता है।

चूंकि अभियुक्त को जिन धाराओ मे तलब किया गया है, वह विद्वान विशेष न्यायाधीश/एस 0 सी0 एस 0 टी0 ऐक्ट के न्यायालय द्वारा विचारणीय धाराये है, अतः पत्रावली को सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, हरदोई को पत्र प्रेषित किया जाये। परिवादिनी नियत तिथि तक सूची गवाहान प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 13.01.2020 को पेश हो।

दिनांक 21.12.2019

विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं0–12
हरदोई।